न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 05/2017

अनवान : –

1. आमीन मोहम्मद पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
2. रफी मोहम्मद (मृतक)

   2/1 हुसना बीबी पत्नी रफी मो0 जाति मुसलमान निवासी वार्ड 4 मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।

   2/2 रजाक मोहम्मद पुत्र रफी मो0 जाति मुसलमान निवासी वार्ड 4 मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।

   2/3 रहिल्ला बीबी पुत्री रफी मो0 उम्र 16 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हुसना बीबी पतनी रफी मो0 जाति मुसलमान निवासी वार्ड 4 मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।

   2/4 राजा बीबी पुत्री रफी मो0 पत्नी किस्मत अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड 4 मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।

   2/5 अमरूदा पुत्री रफी मो0 पत्नी कुदरत अली जाति मुसलमान निवासी वार्ड 4 मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।

   2/6 सरदारा बीबी पुत्री रफी मो0 पत्नी अयुब खां जाति मुसलमान निवासी गाहडू त0 व जिला हनुमानगढ।

   2/7 रैबा बीबी पुत्री रफी मो0 पत्नी नूर नबी जाति मुसलमान निवासी नूरपुरा ढाणी त0 सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। **अपीलांट**

बनाम्

1. ग्राम पंचायत मल्लडखेड़ा जरिये ग्राम पंचायत मल्लडखेड़ा त0 टिब्बी।
2. सरपंच कमला देवी पत्नी कृष्ण कुमार ग्राम पंचायत मल्लड़खेड़ा।
3. गुलजारा बीबी पत्नी सफेद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
4. इस्माइल पुत्र सफेद मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी मल्लडखेड़ा त0 टिब्बी।
5. अनारा बीबी पुत्री जन्नत बीबी पत्नी रजबअली जाति मुसलमान निवासी 8 आरडब्ल्यूडलयू नवा तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. अमीना बीबी पुत्री सुलेमान पत्नी उमरहयात जाति मुसलमान निवासी मल्लडखेड़ा त0 टिब्बी।
7. हनीफ मोहम्मद पुत्री सुलेमान जाति मुसलमान निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बीं
8. रसीदा बीबी पुत्री सुलेमान पत्नी श्योकत अली जाति मुसलमान निवासी गाहडू त0 व जिला हनुमानगढ।
9. अमरीका बीबी पुत्री सुलेमान पत्नी गुलाम खां जाति मुसलमान निवासी नवां त0 व जिला हनुमानगढ। **रेसपोडेन्ट्स**

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 75 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

Scanned with CamScanner

उपस्थिति :–श्री सुभाष गर्ग अपीलांट
श्री एस जोईया रेस्पॉडेन्ट
दिनांक: 20/8/25

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि एक 10 एमकेएस ए के वर्तमान खाता सं0–122 में कुल कृषि भूमि 14.168 है तथा चकनं0– 2 एनजीआर के वर्तमान खाता सं0–15 में कुल कृषि भूमि 17.457 है0 खाता सुलैमान आदि में अपीलान्ट –1 के पिता तथा अपीलान्ट सं०–2 के चाचा स्व० सुलैमान तथा रेस्पोडेन्ट सं0–10 के नाम से अन्य सहखातेदारों के साथ उनके हिस्सा कस्सी अनुसार संयुक्त खाता में उक्त भूमि दर्ज थी तथा उक्त खातों में स्व० जन्नत पुत्री फजल रहमान के नाम से संयुक्त खाता में चक 10 एमकेएस ए के 4.280है0 व चकनं० 2 एनजीआर के खाता में 5.274 है भूमि दर्ज थी। स्व० जन्नत का – देहान्त 2006 में हो चूका था उसके अर्थात स्व० जन्नत के रेस्पोडेन्ट सं0– 3 से 5 वारीस है। वादग्रस्त दोनो चक्कूक की कृषि भूमि के बारे में एक राजस्व वाद सं0– 344/90 बअनुवानी सुलैमान आदि बनाम् सफी मोहम्मद आदि तत्समय अदालत ए. सी साहब संगरिया में पेश हुआ उक्त वाद में स्व० जन्नत पुत्री फजल मुसलमान निवासी मल्लइखेश तहसीष्ठ टिब्बी प्रतिवादीसं०– 10 के क्रम संख्या पर दर्ज थी उक्तवाद दिनांक 30.692 को अदालत द्वारा घोषणा व खाता विभाजन का वाद डिक्री हुआ था उपरोक्त दावा में रेम्पोडेन्ट संत– 3 से 5 की माता ने अपनी भूमि में निहित अधिकार व हिस्सा की भूमि का परित्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया हुआ था इसलिए दावा की डिक्री में यह अंकन हुआ कि प्रतिवादी सी–10 का उपरोक्त समस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है। वाद के डिक्री होने पर डिक्री से अपने आपको व्यथित मानकर तृतीय पक्षकार उमर हयात वगैरह ने राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में धारा 96सी पीसी के तहद अपील डिक्री दिनांक 30.692 के विरूद्ध पेश की जो अपील विचारा धीन रहकर दिनांक 11. 2. 2002 को खारीज हुए व उसकी द्वितीय अपील उमरहया त वर्गरह ने माननीय राजस्व बोर्ड अजमेर मे पेश को जो अभी तक निर्णित नही होकर विचाराधीन है। इसलिए डिक्री का अम्ल नही हो सका है। उपरोक्त डिक्री दिनांक 30.6.92 में स्व० जन्नत के द्वारा अपने हिस्सा की भूमि परित्याग बहक उसके भाईयों को करने का ज्ञान रेस्पोडेन्ट सं0– 3 से 5 को था यही कारण है कि उन्होने जन्नत के 2006 में निधन होने के बावजूद 7 वर्षों तक बन्नत के नाम दर्ज भूमि का विरास्त्न इन्तकाल अपने नाम नही करवाया व उक्त भूमि के बारे में राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश भी प्रभाव में था। इसलिए उपरोक्त दोनो विरास्तन इन्तकाल विधि की निगाह में शून्य व प्रभावहीन है । अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट सं0– 1 ते 2 द्वारा स्वीकृत इन्तकाल हर दोनो को निम्न प्रकार अपील मैं चुनौती देता है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति आदेश इन्तकाल सं0–476 व 367 दिनांक 22.7.2013 विधि विरुद्ध अवैध व शून्य है। प्रमाणित प्रतिलिपी इन्तका लजा त पेश है । स्व० जन्नत ने अपना विधिक अधिकार दावा में परित्याग करने के पश्चात वाद डिक्री किया गया था जिसमें स्व० जन्नत का अधिकार खत्म कर दिया गया था जिसका बखूबी ज्ञान रेस्पोडेन्ट सं0– 3 से 5 को था फिर भी उन्होने इस तथ्य को जानते हुए कि स्व० जन्नत की कृषि भूमि की प्रविष्टीयॉ व अधिकार रिकार्ड में समाप्त अदालत ए० सी० साहब, संगरिया द्वारा कर दिया गया है अपने नाम इन्तकाल विरान्तन स्व० जन्नत की भूमि का विरास्तन दर्ज करवाया है जो गलत है व विधिक प्रावधानों के विपरीत है। आदेश इन्तकाल जात में वर्णित भूमि का कब्जा भी रेस्पोईन्ट संव 3 से 5 के पास नहीं होकर डिक्री अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0–6 वा अपीलान्ट व अन्य खातेदारों के पास है इस प्रथम दृष्ट तथ्य की जाँच भी रेस्पोडेन्ट सं0– 1 से 2 ने नही की। वादग्रस्त भूमि के इन्तकाल में दर्ज भूमि के

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner

बारे में रेस्पोडेन्ट सं0– 3 से 5 तथा स्व० जन्नत का कोई अधिकार नही था । अपीलान्ट व अन्य को इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व कोई नोटिस भी ग्राम पंचायत द्वारा नही दिया गया व सुनवाई मौका नही दिया गया है। इन्तकाल में अंकित भूमि के बारे में माननीय राजस्व बोर्ड का स्थगन भी था इसलिए भी इन्तकाल हर दोनो विधि विरुद्ध होने से खारोज होने योग्य है । 4. यह कि इन्तकाल जात विधि विरुद्ध होने ते व प्रथम दृष्टया गलत व शून्य होने से काबिल खारीजी के है। रेस्पोडेन्ट सं0–6 ता 10 मौके पर उपस्थित नही होने से यह अपील अपीलान्ट की और से पेश की जा रही है वे चाहे तो अपीलान्ट बन सकते है। अन्य कानूनी बिन्दुओं व तथ्यों पर वरवक्त बहत निवेदन किया जावेगा । दिनांक 10.12.2013 को अपीलान्ट पटवारी हल्का सुखदेवसिंह के पास बैंक से लोन लेने के कागजात अपनी भूमि के तैयार करवाने गये तब उन्हे पटवारी हल्का ने इन्तकाल दोनों के बारे में बताया तब सर्वप्रथम ज्ञान होने पर उन्होने दिनांक 11.12.13 को तहसील ते नकले प्रमाणित कोपी प्राप्त की तथा अपने वकील के साथ राय मशवरा कर खर्चा की व्यवस्था कर तुरन्त बिना किसी देरी के अपील पेश कर रहे है। अतः अपील अपीलान्ट ज्ञान ते अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के श्रवणाधिकार में है। मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहद आवेदन संलग्न अपील है । अतः अपील पेशकर निवेदन है कि इन्तकाल सं0–476 चकनं0 – 10 एमकेएस ए तथा इन्तकाल सं0–367 चकनं0– 2 एनजीआर दिनांक 22. 7. 13 जो रेस्पोडेन्ट सं0–3 ते 5 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट सं0– 1 ते 2 ने तस्दीक किये है को निरन्त फरमाया जाये व अपील अपीलान्ट मन्जूर की जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल के बाद प्रकरण में अधिवक्ता रेस्पोण्डेटस ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि **अपीलान्टान ने अदालत** हाजा के समक्ष चक 10 एम. के. एस ए के इन्तकाल संख्या 476 व चकनं0 2 एनजीआर के इन्तकाल संख्या 367 ग्राम पंचायत मल्लडखेड़ा द्वारा दिनांक 22.07.2023 को स्वीकृत किये गये के खिलाफ उपरोक्त अपील पेश करते किया कि चक 10 एम. के. एस ए के वर्तमान खाता संख्या 122 में कुल कृषि भूमि 14.168 है0 तथा चक नं0 2 एनजीआर के वर्तमान खाता सं0 15 में वर्णित कुल कृषि भूमि 17.457 है0 खाता सुलेमान आदि में अपीलान्ट संख्या 1 के पिता तथा अपीलान्ट सं0 2 के चाचा स्वर्गीय सुलेमान तथा रेस्पोडेन्ट सं0 10 खानबहादुर के नाम से अन्य सहखातेदारों के साथ उनके हिस्सा कस्सी अनुसार संयुक्त खाता मे उक्त कृषि भूमि दर्ज थी जिसमें जन्त पुत्री फजल रहमान के नाम से चक नं0 10 एम.के.एस ए के संयुक्त खाता में 4.280 है0 व चकनं० 2 एनजीआर के खाता मे 5. 274 है0 भूमि दर्ज थी। जन्नत का 2006 में देहान्त हो चुका था उपरोक्त दोनो चकूकों की कृषि भूमि के बारे में एक राजस्व वाद सख्या 1344/1990 बअनवानी सुलेमान आदि बनाम् सफी मोहम्मद आदि सहायक कलैक्टर संगरिया में पेश हुआ जिसमें स्वर्गीय जन्नत पुत्री फजल रहमान बतौर प्रतिवादी संख्या 10 दर्ज थी। उक्त घोषणा व खाता विभाजन का वाद दिनांक 30.06.1992 को डिक्री किया गया । उक्त वाद में रेस्पोडेन्ट सं0 3 से 5 की माता ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया हुआ था, जिसका ज्ञान रेस्पोडेन्ट सं0 3 ता 5 को था। वर्ष 2006 में जन्त के निधन होने के बाद करीब 7 वर्ष पश्चात् उक्त आराजी बाबत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के स्थगन आदेश के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने अपीलाधीन इन्तकाल रेस्पोडेन्ट सं० 3 ता 5 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया, जो कतई गलत है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 22.7. 2013 को स्वीकृत किये गये इन्तकाल की अपील धारा 5 मियाद

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर हिन्दौन

Scanned with CamScanner

अधिनियम के तहत मियाद बाहर पेश की गई । अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निस्तारित किया जाना आवश्यक है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोपेन्ट सं0 3 ता 5 की ओर से निम्न निवेदन है:– ए.कि अपीलान्ट ने दिनांक 10.12.2013 को पटवारी हल्का सुखदेवसिह के पास बैंक से लोन लेने के लिए कागजात अपनी भूमि के तैयार करवाने के लिए गये तब उन्हे पटवारी हल्का ने दोनो इन्तकालों के बारे में बताया तो अपीलान्ट को उक्त इन्तकालों का इल्म हुआ। अपीलान्ट के इन कथनों के सम्बन्ध में निवेदन है कि उपरोक्त अनवानी अपील में आमीन मोहम्मद रफी मोहम्मद अपीलान्टान है लेकिन अपीलान्टान ने अपनी अपील में यह नही बताया कि इन दोनो अपीलान्ट मे से कौनसा व्यक्ति पटवारी हल्का के पास गया था तथा उस व्यक्ति ने पटवारी हल्का से इन्तकाल की प्रति क्यो नही प्राप्त की जबकि इन्तकाल की एक प्रति पटवारी हल्का के पास उपलब्ध रहती है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उपरोक्त कान कतई विश्वसनीय नही है । अपीलन्ट ने अपीलाधीन इन्तकालों की जानकारी पटवारी हल्का सुखदेवसिह से होने का कथन किया है लेकिन पटवारी हल्का सुखदेव सिंह का अपील में कोई शपथ पत्र पेश नही किया है जबकि पटवारी हल्का से अपीलाधीन इन्तकाल का ज्ञान होने की स्थिति मे पटवारी हल्का का शपथ पत्र पेश किया जाना कानूनन आवश्यक है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आरआरडी – 2000 पेज नं0 557 हरिसिंह आदि नाम् संभलसिह आदि में निर्णित किया कि हल्का जानकारी होने पर उसका शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक है। आर. आर. डी. – 1998 पेज 407 विचित्र सिह बनाम् जंगीरसिह आदि मे भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सिद्वान्त प्रतिपादित किया हैं कि जानकारी होने वाले व्यक्ति का शपथ पत्र न देने पर अपील को सीमा अवधि में शुमार नही किया जा सकता । उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष में अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होने के कारण काबिल खारीजी के है । यहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट सं0 3 ता 5 अपील कि गुणावगुण पर निम्न निवेदन करते है:– अपीलाधीन इन्तकाल ग्राम पंचायत मल्लडखेडा द्वारा विधिं सम्मत् रुप से पारित किया गया है जो वारिसान की जॉच कर पंचायत बैठक में पारित किया गया है जिसकी अपील के जरिये निरस्त नही किया जा सकता । नामान्तरण की कार्यवाही राजवितीय प्रकृति की होती है जो सम्पति पर किसी हक को प्रकट नही करती। जिसके सम्बन्ध में अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में वाद पेश करना चाहिए जैसा कि 2019 डी.एन.जे. राजस्थान पेज नं0 201 बनवारीलाल जाट बनाम् दुर्गा देवी जाट में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सिद्वान्त पारित किया । अपीलान्ट ने हम रेस्पोडेन्ट की माता के द्वारा हक त्याग के बाद डिक्री होने के आधार पर, अपीलाधीन इन्तकाल की चुनौती दी है जबकि अपीलाधीन इंतकाल स्वर्गीय जन्नत की मृत्यू के बाद उनके वारिसान हम रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। अपील में वर्णित डिक्री में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 कोई पक्षकार नही थे इसलिए रेस्पोडेन्ट की उक्त डिक्री बाबत कोई ज्ञान व इल्म नही था । हम रेस्पोडेन्टान की माता ने अपने हक व हिस्सा की आराजी का कभी भी हक त्याग नही किया । बहस के तौर पर यह मान लिया जाये कि जन्नत ने अपना हक त्याग कर दिया था तो भी अपीलान्ट उक्त इन्तकाल को निरस्त करवाने की अधिकारी नही है । अपीलान्टान अपने पक्ष में पारित डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही कर सकते है जबकि अपीलान्टान के द्वारा डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही न कर अपील के जरिये अपीलाधीन इन्कालो को चुनौती दी है, जो कतई विधि विरूद्व है । इस प्रकार से अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज विरास्तन इन्तकालों को खारीज करवाने के अधिकारी नही है। अपीलान्ट ने उपरोक्त आराजी बाबत वाद चलने, डिक्री होने, अपील होने व विचाराधीन होने के कथन अपील मीमो में किये है ऐसी स्थिति में 2003 (3)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर तिज्जी

Scanned with CamScanner

डी. एन. जे. राजस्थान पेज 1143 जेठू सिह बनाम् भंवरसिह आदि में माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं कि मामले का समुचित न्यायालय में न्याय निर्णय किया जा सकता है। आर. आर. डी. 1998 पेज 254 श्रीमति यशोदा बनाम् भगवान सिह आदि में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पक्षकारान के मध्य नियमित वाद कि स्थिति में विरास्तन इन्तकाल को खारीज नही किया जा सकता जबकि नियमित वाद के निर्णय के मुताबिक डिक्री के निष्पादन की कार्यवाह की जा सकती है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व भूमि के कब्जे बाबत जॉच न करते हुए तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 का कब्जा नही होने का कथन करते हुए अपीलाधीन इन्तकाल को चुनौती दी है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलाधीन इन्तकाल जन्नत बीबी के फौत होने के पश्चात् विरास्तन के रुप में दर्ज किया गया है जिसके लिए कब्जा की जाँच किया जाना आवश्यक नही है। उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसके सम्बन्ध में कब्जा का सिद्धान्त लागू नही होता तथा कानूनन राजस्व रिकार्ड में मृत व्यक्ति का नाम अंकित नही रह सकता। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा राजवितीय की स्थिति में उनके वारिसान के रुप में अमल दरामद किया जाना आवश्यक था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सं० 1 व 2 द्वारा अपीलाधीन इन्तकाल सही दर्ज किया गया है । अपील अपीलान्ट काबिज खारीजी है । अपीलान्ट ने कोई नोटिस न देने का कथन व सुनवाई का अवसर न देने का कथन करते हुए अपीलाधीन इन्तकालों को निरस्त करवाने का अनुतोष चाहा है, के सम्बन्ध में निवेदन है कि वरवक्त दर्ज इन्तकाल उक्त आराजी जन्नत के नाम से दर्ज थी । जन्नत फौत हो चुकी थी जिनके वारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 3 ता 5 है तथा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने की स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति को सूचना या सुनवाई का अवसर दिये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नही है । अपीलान्ट ने राजस्व बोर्ड अजमेर में विचाराधीन प्रकरण में स्थगन आदेश का हवाला देते हुए, स्थगन आदेश के दौरान इन्तकालं दर्ज करने का कथन करते हुए अपीलाधीन इन्तकाल को निरस्त करने का विदन किया है, के सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलान्ट उक्त कथन के आधार पर अपीलाधीन इन्तकालों को निरस्त करवाने के कतई अधिकारी नही है। अपीलान्ट ने हम रेस्पोडेन्ट के खिलाफ आदिनांक तक अवमानना की कोई कार्यवाही नही की तथा ना ही अपीलान्ट ने हम रेस्पोडेन्ट के खिलाफ कोई मुकदमा दायर करवाया ऐसी सूरत मे अपील में वर्णित कथन सारहीन होने के कारण विश्वसनीय नही है तथा उपरोक्त कथन इन्कालों को खारीज करने का आधार नही हो सकते। अपीलान्ट ने दो इन्तकालों के खिलाफ एक अपील दायर की है जबकि माननीय राजस्व उच्च न्यायालय द्वारा 2017 (2) आर. आर. टी. पेज 1281 जेठुसिह बनाम् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान अजमेर में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि दो निर्णयां के खिलाफ एक अपील दायर नही की जा सकती । अतः ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा पेश अपील काबिल खारीज किये जाने योग्य है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिपेक्ष में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमायी जावें।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील अपीलांट के निर्णय से पूर्व सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार मियाद बिन्दू का निर्धारण किया जाना न्यायालय के अभिमत में एक आवश्यक बिन्दू है। हस्तगत अपील अपीलांट ने नामान्तरण सं0 476, 367 दिनांक 22.07.2013 निरस्ती हेतु प्रस्तुत की हैं। अपीलाट ने उक्त अपील दिनाक 19.12.2013 को न्यायालय हाजा में

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर लिच्छी

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत की हैं व अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम तथा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के साथ अधिवक्ता अपींलाट ने बहस में अन्दर मियाद मानने हेतु निवेदन किया। अतः उपरोक्त के अवलोकन बाद न्यायालय द्वारा नरमी का रूख अपनाते हुए अपील को अन्दर मियाद माना जाता है एवं गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक समझते है। अपींलाट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि उपरोक्त नामान्तरण राजस्व रिकोर्ड में राजस्व मण्डल अजमेंर के स्थगन के बावजूद तस्दीक किये गये है जो कि विधि विरूद्व है परन्तु अपीलांट ने पत्रावली में तत्कालीन समय के राजस्व रिकोर्ड मय स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किये है। हस्तगत अपील में स्व0 जन्नत के वारिसान के नाम विरासतन नामान्तरण की कार्यवाही की गई है। एवं यदि उक्त नामान्तरण तस्दीक के समय ऐसा किया गया है तो अपीलाट सीपीसी में वर्णित प्रावधानो के तहत न्यायालय अवमानना की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र था । चूंकि 75 एलआरएक्ट में वर्णित प्रावधानों के तहत मूलतः न्यायालय को यह देखना होता है कि नामान्तरण प्रक्रिया में विधिक वारिसान अथवा प्रभावित पक्षकारान के हिस्सा आदि में नामान्तरण तस्दीक के समय त्रुटि की हो लेकिन हस्तगत अपील में अपीलांट ने ऐसे किसी तथ्यों का अंकन अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है व केवल मात्र स्थगन आदेश एवं विवादित आराजी के संबंध में पारित डिक्री दिनांक 30.06.1992 के आधार पर उपरोक्त वर्णित नामान्तरणों के निरस्ती का अनुतोष चाहा है। परन्तु न्यायालय के अभिमत में नामांतरण कार्यवाही का उद्देश्य अधिकार अभिलेख को आदिनांक रखना है न कि किसी पक्षकार के हक अधिकार तय करना। पक्षकारों के हक अधिकार तो दावे में तय होने है और वैसे भी अगर कोई खातेदार फौत हो जाता हैतो उसकी भूमि नियमानुसार उसके विधिक वारिसान के नाम ही दर्ज होनी होती है। न्यायालय के अभिमत में प्रश्नगत नामांतरण में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। और अपीलांट को यदि विवादित आराजी में वर्णित डिक्री अनुसार अपने हकों की घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना है तो वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत पृथक से सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/8/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner